प्रेस नोट दिनांक 08.07.2024

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह का0 मुलायम यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद संख्या 78/18 धारा 446 द0प्र0सं0 थाना लालगंज, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त सत्य नारायण पुत्र हर्ष नारायण निवासी ग्राम पूरे निर्मल गिरधर थाना लालगंजस जनपद प्रतापगढ़ को उसके के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सत्य नारायण पुत्र हर्ष नारायण निवासी ग्राम पूरे निर्मल गिरधर थाना लालगंजस जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह का0 मुलायम यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

दिनांक- 08.07.2024

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिरऊ का पुरवा बेलहा के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से 05 अदद देशी बम बरामद

अभियुक्त मो0 सद्दाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना लालगंज, थाना महेशगंज में हत्या का प्रयास, गौ हत्या, गैगस्टर, चोरी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.07.2024 को समय 01.50 बजे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 कबीरदास मय हमराह का0 अभिषेक सिंह, का0 विशाल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिरऊ का पुरवा बेलहा के पास से 01 अभियुक्त मो0 सद्दाम पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को 05 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 सद्दाम उपरोक्त के कब्जे से 05 देशी बम बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 260/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मो0 सद्दाम पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 सद्दाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 354/2019 धारा 307, 323, 324, 325, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 184/2020 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 307 भादवि थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 285/2020 धारा 2/3 गैंगैस्टर एक्ट थाना लालगंज, जनपदद प्रतापगढ़ ।

04. मु0अ0सं0 187/2020 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

05. मु0अ0सं034/2021 धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

06. 27/2021 धारा 323, 379 भादवि थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

05 अदद देशी बम बरामद ।

पुलिस टीम- उ0नि0 कबीरदास मय हमराह का0 अभिषेक सिंह, का0 विशाल यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 जय प्रकाश सिंह मय हमराह का0 नीरज कुशवाह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ0सं0

48/2020 धारा 354ए, 323 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त कमलेश कुमार पटेल पुत्र बिरई पटेल नि0ग्राम राजा का पुरवा कड़रौ थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. कमलेश कुमार पटेल पुत्र बिरई पटेल नि0ग्राम राजा का पुरवा कड़रौ थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 जय प्रकाश सिंह मय हमराह का0 नीरज कुशवाह, का0 यदुवीर सिंह थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, दिनांक 08.07.2024

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर दिए गये थे सख्त निर्देश

हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण, मां ही निकली बेटे की कातिल

प्रकाश में आये हत्या के अभियोग में 01 अभियुक्त, 01 अभियुक्ता, 02 बाल अपचारी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा अपने पुत्र उम्र 11 वर्ष की गुमशुदगी थाना पट्टी में दर्ज कराया गया था

गुमशुदा बालक की तलाश बैज्ञानिक साक्ष्यों का प्रय़ोग कर थाना पट्टी पुलिस द्वारा की जा रही थी

दिनांक 05.07.2024 को विवेचना के दौरान गुमशुदा उमेश कुमार का शव ग्राम जलालपुर किठौली गांव से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित पुराने कुएं में मिला

मृतक के शव फायर सर्विस टीम पट्टी की मदद से बाहर निकलवाया गया

उच्चाधिकारी के नेतृत्व में फील्ड यूनिट की मदद से मृतक के शव का कराया गया पोस्टमार्टम

अभियुक्त रोशन को दिनांक 07.07.2024 को समय करीब 18.30 बजे नहर पुलिया जलालपुर के पास से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्ता सरस्वती देवी दि0 08.07.2024 समय करीब 10.10 बजे उसके घर से किया गया गिरफ्तार

02 बाल अपचारियों को दिनांक 08.07.2024 समय करीब 09.30 बजे ग्राम जलालपुर अम्बिका पाण्डेय के आंवले के बाग में स्थित ट्यूबवेल के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.07.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी अवधेश कुमार नि0 ग्राम जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर अपने ल़ड़के मृतक उमेश कुमार उम्र करीब 11 वर्ष के गुम होने की सूचना दिया गया लिखित सूचना के आधार पर थाना पट्टी प्रतपागढ़ पर मु0अ0सं0 208/24 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 श्यामसुन्दर गिरि थाना पट्टी, द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सर्विलांस टीम की मदद से वैज्ञानिक साक्ष्यों/ मैन्यूअल साक्ष्यों व पूछताछ के क्रम में दि0 05.07.2024 को गुमशुदा उमेश कुमार उम्र 11 वर्ष का शव ग्राम

जलालपुर किठौली गांव से लगभग 600 मी0 की दूरी पर स्थित पुराने कुएं में मिला मृतक के शव को फायर बिग्रेड की मदद से बाहर निकलवाकर फील्ड युनिट की मदद से आवश्यक कार्यवाही करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण Asphyxia ant mortem throttling पाया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की मृतक की मां श्रीमती सरस्तवती देवी एवं गांव के ही रोशन लाल पुत्र स्व0 राजबहादुर के मध्य आपसी अवैध सम्बन्ध थे, दिनांक 01.07.2024 को रात्रि में लगभाग 11.30 अभियुक्त रोशन लाल उपरोक्त मृतक की माता के बुलाने पर उसके घर गया था तभी मृतक के जागने पर दोनों को आपत्तीजनक स्थिति देखे जाने व इस बात को अपने पापा और गांव के लोगो को बताने की बात मृतक द्वारा कही गई, जिस पर सरस्वती देवी और रोशन लाल ने मृतक को समझाने का प्रय़ास किया लेकिन वह नहीं मान रहा था, विवाद के दौरान पास में ही रखे डण्डे से मृतक उमेश कुमार ने रोशन लाल के सिर पर मार दिया जिसके कारण उसका सिर फट गया, उसी समय रोशन लाल ने अपने हाथ से मृतक उमेश का गला कसकर दबा दिया एवं सरस्वती ने उसको पीछे से पकड़ी थी, मृतका का गला दबाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब रोशन लाल और सरस्वती ने गांव के ही 02 बालक के साथ मिलकर मृतक उमेश कुमार के शव को बोरे में भरकर गांव में कुछ दूरी पर स्थित पुराने कुएं में छिपाने के लिए फेंक दिया था।

विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को धारा 103(1)/238/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में तरमीम किया गया तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक पट्टी श्री आलोक कुमार के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.रोशन लाल पुत्र स्व0 राजदेव को दि0 07.07.2024 को समय करीब 18.30 बजे नहर पुलिया जलालपुर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता सरस्वती देवी दि0 08.07.2024 समय करीब 10.10 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी अभियुक्त को दि0 08.07.2024 समय करीब 09.30 बजे ग्राम जलालपुर अम्बिका पाण्डेय के आंवले के बाग में स्थित ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. रोशन लाल पुत्र स्व0 राजदेव उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।

2. सरस्वती देवी पत्नी अवधेश कुमार उम्र करीब 30 वर्ष थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

3. 02 बाल अपचारी अभियुक्त

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार

2. उ0नि0 श्री श्यामसुन्दर गिरि

3. उ0नि0 प्रशिक्षु अर्चना

4. का0 पवन कुमार अवस्थी

5. का0 अभिषेक यादव

थाना बाघराय , जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

थाना बाघराय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत भिटारा तिराहा के पास से 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

योजना बनाकर हत्या कर फाँसी पर लटका देने के अभियोग में 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.11.2023 को वादी के भाई को आरोपीगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने घर पर बुलाकर उसे मारकर फाँसी पर लटका देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 266/2023 धारा 147,302 भादवि0 बनाम 07 नामजद व 02 अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक,पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना बाघराय के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तालाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 266/2023 धारा 147,302 भादवि0 थाना जेठवारा से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता आसिया बेगम पुत्नी मो0 सईद निवासी ग्राम पर्वतपुर पुरे नगिया रामगंज बाजार थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 08.07.2024 को समय 09.42 बजे थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भिटारा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्ता का विवरण-

01. आसिया बेगम पुत्नी मो0 सईद निवासी ग्राम पर्वतपुर पुरे नगिया रामगंज बाजार थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह SIUT कीर्ति रमन, हे0का0 महेश सिंह, का0 गौरव द्वितीय, म0का0 साधना सिंह, चालक हे0का0 राजा सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये है कड़े निर्देश

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुजानपट्टी स्थित अर्दनिर्मित मकान के अन्दर से 15 बण्डल में कुल 76 किलो 379 ग्राम अवैध गांजा बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक,पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 08.07.2024 को थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह थाना आसपुर देवसरा के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था/ त्योहार के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग के दौरान मुखबिर की महत्वपूर्ण सूचना पर कि ग्राम सुजानपट्टी में राजेश यादव पुत्र राजदेव यादव के अर्ध्दनिर्मित पक्के मकान में जिसमें द्वारा नही लगे है, उसी घर में राजेश का सगा भतीजा पवन यादव उर्फ शिकारी जो अपराधी प्रवति का है, काफी मात्रा में अवैध रूप से गांजा छिपाकर रखा है इस सूचना पर उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह आरक्षी शिवम यादव के द्वारा मुखबिर को साथ लेकर ग्राम सुजानपट्टी मोड़ के पास से स्थित निमार्णधीन मकान की तलाशी के दौरान विधिवत के कैमरे

की रिकार्डिंग के साथ हरे रंग की चादर को हटाने पर तीन बोरिया भरी हुई पायी गयी जिसमें कुल 15 बण्डल अवैध गांजा कुल वजन 76 किलो 379 ग्राम जो एक व्यवसायिक मात्रा में है, बरामद किया गया।

बरामद अवैध गांजा के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0स0- 192/24 धारा 8/20(बी) एनडीपीएस एक्ट बनाम 1- राजेश यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी ग्राम सुजानपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 2- पवन यादव उर्फ शिकारी पुत्र श्यामसुन्दर यादव निवासी ग्राम सुजानपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 3- अमन पुत्र अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण-

व्यवसायिक मात्रा में कुल 76 किलो 379 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 विवेक, का0 शिवम यादव, का0 विवेक गुप्ता, का0 शिवम सिंह, का0 ज्वाला सिंह थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्व चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई के उ0नि0 दिनेश सिंह मय हमराह का0 हरीश कुमार, का0 अनुराग द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 389/12 धारा 323,332,504,506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त अतुल कुमार यादव उर्फ बच्चा पु़त्र रामलेखावन यादव निवासी ग्राम बहेलियापुर(तरदहा) थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अतुल कुमार यादव उर्फ बच्चा पु़त्र रामलेखावन यादव निवासी ग्राम बहेलियापुर(तरदहा) थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दिनेश सिंह मय हमराह का0 हरीश कुमार, का0 अनुराग, थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिये दिये गये है सख्त निर्देश

हत्या करने के प्रयास में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद

थाना अन्तू पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खैरागोरवारी से अभियुक्त गिरफ्तार

थानाक्षेत्र अन्तू के ग्राम गौरवारी खैरा रोड़ पर आरोपीगण द्वारा 01 व्यक्ति को मारपीट कर, चाकू से घायल/धमकी देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0सं0 51/24 धारा 147,307,323,506 भादवि0 बनाम 03 नामजद व 02 अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना का विवरण-

दिनांक 01.02.24 को थानाक्षेत्र अन्तू के ग्राम गौरवारी खैरा रोड़ पर वादी के भतीजे रूपेश वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा निवासी ग्राम खैरागोरवारी थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को विवेक पुत्र सुबेदार गौतम,सुबेदार गौतम पुत्र भगेलू गौतम, संतराम गौतम पुत्र भगेलू गौतम दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट करते हुए चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये थे जिसके संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0सं0 51/24 धारा 147,307,323,506 भादवि0 बनाम 03 नामजद व 02 अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 08.07.24 को समय 11.05 बजे थाना अन्तू के निरीक्षक विनोद

कुमार यादव मय हमराह का0 बौद्ध प्रकाश द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 51/24 धारा 147,307,323,506 भादवि0 से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र सुबेदार गौतम निवासी ग्राम खैरागोरवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के ग्राम खैरागोरवारी से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01वांछित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र सुबेदार गौतम निवासी ग्राम खैरागोरवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह का0 बौद्ध प्रकाश, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।